न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 37/2020
3. उनवान : सरकार जरिये मनीष फौजदार तहसीलदार व प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. श्री राकेश खण्डेलवाल पुत्र रामगोपाल खण्डेलवाल निवासी वार्ड नं. 10, मैन बाजार, शाहपुरा
2. श्री रामगोपाल खण्डेलवाल निवासी वार्ड नं. 10, मैन बाजार, शाहपुरा
3. मैसर्स इमरान कंगन स्टोर, रूपलक्ष्मी साडीज एण्ड सलवार सूट, मैन बाजार, शाहपुरा।

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री के.डी. शर्मा अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी तहसीलदार व प्रवर्तन निरीक्षक श्री मनीष फौजदार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 01.08.2012 को इमरान कंगन स्टोर, रूपलक्ष्मी साडीज एण्ड सलवार सूट, मैन बाजार, शाहपुरा में अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा घरेलु सिलेण्डर की अवैध बिकी करना पाये जाने पर 13 घरेलु गैस सिलेण्डर व 1 कमर्शियल गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 171.60 किग्रा को जब्त किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त के संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, ना ही कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि उक्त जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। दिनांक 13.04.2015 को अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया कि अप्रार्थी के यहां दिनांक 02.08.2012 को सवामणी का कार्यक्रम था, जिसकी तैयारी हेतु सिलेण्डरों को टैम्पो से ले जा रहे थे। सभी गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं के वैध गैस कनेक्शन के है। जिनकी सूची एवं शपथ पत्र जवाब के संलग्न है। प्रकरण दिनांक 13.05.2015 से बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए फर्द जब्ती, मौका पर्चा आदि का हवाला देते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, फर्द जब्ती, मौका पर्चा, बहस एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 01.08.2012 को घरेलु सिलेण्डर की अवैध बिकी करना पाये जाने पर 13 घरेलु गैस सिलेण्डर व 1 कमर्शियल गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 171.60 किग्रा को जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलु सिलेण्डर के अवैध भण्डारण एवं कारोबार किया जाना एलपीजी (रेग्यूलेशन आफॅ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त 13 घरेलु गैस सिलेण्डर व 1 कमर्शियल गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 171.60 किग्रा को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर